(10) ₹35

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

Rs-5 Rs.10/—

1- हरी तनय रंगलाल केवट

2- बघोली तनय नैनशाह बैगा

3- रामजग पिता जयपाल बैगा

सभी निवासी ग्राम जोगियानी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

—— निगरानीकर्तागण

बनाम

1- [illegible] तनय राम चरित्र बैसवार, साकिन जोगियानी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

2- रमाशंकर पिता शिव प्रसाद अहिर, साकिन जोगियानी, तहसील व जिला सिंगरौली म0प्र0,

—— गैरनिगरानीकर्तागण

R. 3047-I/12

अधिवक्ता श्री आर.के. देव पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत रीवा दि. 27.8.12

27.8.12

क 3-9-12

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर जिला सिंगरौली म0प्र0 के प्रकरण क्र. 119/निगरानी/2010-11, आदेश दिनांक 22.7.2011,

==============================

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0।

==============================

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य

यह कि ग्राम जोगियानी तहसील व जिला सिंगरौली की भूमि खसरा क्रमांक पुराना 2, जुज रकबा 2.00 एकड़ 13 रकबा 1.95 एकड़ तथा 17, 18, 19 रकबा 1.26 एकड़ पर निगरानीकर्ता गण के मूरिशा जैपाल बैगा तथा बबना काबिज दखील रहे है, उपरोक्त भूमियां अनाधिकार के रूप मे दर्ज रही है। उक्त पुराने नम्बरो से नया नम्बर 229 व 230 बने

M

XXIX(a)-BR(H)-11

(10)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R3047-I/12 जिला– सिंगरौली

हरीकेवट वगैरः/ सोनेलाल वैसवार

(1)	(2)	(3)
5.8.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 119/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 22.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	